

छठी अनुसूची  
(धारा 133 देखिए)

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

- 5 (1) शीर्ष 5211 की टैरिफ मद 5211 20 50 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “क्रेप फैब्रिक (जिसके अंतर्गत ट्वील फैब्रिक है)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “क्रेप फैब्रिक (जिसके अंतर्गत क्रेप चेक भी है)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (2) शीर्ष 5514 की टैरिफ मद 5514 30 12 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पालिएस्टर, स्टेपल फाइबर” शब्दों के स्थान पर, “पालिएस्टर स्टेपल फाइबर” शब्द रखे जाएंगे ।